भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *400

उत्तर देने की तारीख: 20.08.2025

'उम्मीद' केंद्रीय पोर्टल

***400. श्रीमती कमलजीत सहरावतः**

श्री नव चरण माझी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) केंद्रीय पोर्टल की विशेषताएं और विभिन्न लाभ क्या हैं और इससे देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे बढ़ती है;

(ख) वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत पट्टे को रोकने के लिए सरकार द्वारा उम्मीद पोर्टल में लागू किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि उक्त पोर्टल के बारे में व्यापक जागरूकता हो और इसे अपनाया जाए?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

माननीय सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत और श्री नव चरण माझी द्वारा 'उम्मीद केंद्रीय पोर्टल' विषय पर पूछे गए तथा दिनांक 20.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *400 के संबंध में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 दिनांक 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ। अधिनियम की धारा 3(टक) के अनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 6 जून 2025 को उम्मीद केंद्रीय पोर्टल-2025 लॉन्च किया है। पोर्टल को छह प्रमुख कार्यात्मक स्तंभों को समाहित करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है, अर्थात्:

I. पंजीकरण, कलेक्टर सत्यापन और म्यूटेशन मॉड्यूल

II. वार्षिक अनुपालन और लेखा परीक्षा मॉड्यूल

III. मुकदमेबाजी प्रबंधन मॉड्यूल (अतिक्रमण और हस्तांतरण मामलों को शामिल करते हुए)

IV. सर्वेक्षण, सरकारी अधिसूचना और म्यूटेशन मॉड्यूल

V. लीजिंग और संपत्ति प्रबंधन मॉड्यूल

VI. संस्थागत अभिशासन मॉड्यूल

यह पोर्टल वक्फ प्रबंधन के संपूर्ण कालचक्र को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें देश भर में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापन, अभिलेखों का म्यूटेशन, वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना, वक्फ संस्थाओं का लेखा-परीक्षण, वक्फ संपत्तियों का पट्टा और विकास, तथा मुकदमों की निगरानी शामिल है।

यह पोर्टल निर्माता-जांचकर्ता-अनुमोदक प्रोटोकॉल के त्रि-स्तरीय प्रोटोकॉल पर कार्य करता है ताकि वास्तविक समय में सत्यापित प्रविष्टियाँ सुनिश्चित की जा सकें और गलत या असंगत जानकारी अपलोड होने से बचा जा सके। अधिनियम की धारा 36 के तहत किए गए अधिदेश के अनुसार, अब सभी वक्फ पंजीकरण आवेदन पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं, जिनका सत्यापन जिला कलक्टर द्वारा अनिवार्य जाँच और सार्वजनिक सूचना के माध्यम से किया जाता है, उसके बाद ही किसी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जाता है। कलक्टर, अतिक्रमण और अलगाव को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है।

नई वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए वक्फ विलेख अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे उपयुक्त दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित होगा और इसे उम्मीद केंद्रीय पोर्टल-2025 पर अपलोड किया जाएगा।

वक्फ संपत्तियों का पट्टा लंबे समय से अस्पष्ट संपत्ति अधिकारों, अतिक्रमणों और लंबे कानूनी विवादों के कारण बाधित रहा है। इस अधिनियम का उद्देश्य सटीक और अद्यतन भूमि अभिलेखों, व्यवस्थित डिजिटलीकरण और वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी अभिशासन को सुनिश्चित करके इन चुनौतियों का समाधान करना है, जिससे उनकी पट्टा क्षमता और विकास में वृद्धि होगी। इन सुधारों से निर्धारित उद्देश्यों के लिए राजस्व सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 56 पहले से ही अनधिकृत पट्टे के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि उम्मीद पोर्टल पर पट्टा मॉड्यूल, पट्टा प्रक्रियाओं की वास्तविक समय ट्रैकिंग के माध्यम से जवाबदेही को और सुदृढ़ करेगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और दुरुपयोग की संभावना भी कम होगी। सभी पट्टों को बोर्ड की मंजूरी से निष्पादित करना और उम्मीद केंद्रीय पोर्टल-2025 पर अपलोड किया जाना अपेक्षित है।

(ग): सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने इसकी शुरूआत से पहले व्यापक परामर्श और प्रशिक्षण कार्य किया। दिनांक 28 फरवरी और 8 मई 2025 को इस पोर्टल के प्रारूप का प्रदर्शन करने और फीडबैक को शामिल करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के साथ परामर्श बैठकों के दो दौर आयोजित किए गए। 26-27 मई 2025 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के लगभग 140 कुशल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, जिन्हें मुतवल्लियों और जिला-स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा गया है। दिनांक 2 मई, 25 जून और 3 जुलाई 2025 को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और वक्फ बोर्डों के साथ इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गईं। शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और ईमेल सुविधा भी स्थापित की गई है।

मंत्रालय ने इस पोर्टल की व्यापक पहुँच के लिए, सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया पर एक प्रभावी जागरूकता अभियान शुरू किया है। पोर्टल की विशेषताओं और अनुपालन आवश्यकताओं पर प्रकाश डालने वाले विभिन्न पोस्ट और इन्फोग्राफिक्स, एक्स प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर साझा किए गए। व्यापक प्रचार के लिए पोर्टल पर दो लघु वीडियो और लगभग 10 उपयोगकर्ता-अनुकूल ट्यूटोरियल भी अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा, संशोधन अधिनियम और उम्मीद सेंट्रल पोर्टल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई समाचार पत्र लेख भी प्रकाशित किए गए हैं।

******